तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एस. R.V. सिंघल द्वारा प्रार्थना पत्र/वाद अन्तर्गत धारा 88-209 रा. टी. एक्ट अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब करने हेतु सम्मन जारी किये जाकर जवाब वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20-9-17 को पत्रावली पेश हों । उपखण्ड अधिकारी [illegible]	[illegible] [illegible]
20/9/17	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी R.O. मिटिंग में व्यस्त हैं। पत्रावली पुनः पेश हो दिनांक 30-11-17 आज्ञा से रीडर	[illegible] (उपस्थित) [illegible] 20-9-201
9/11/17	पत्रावली लिये से तलब की गई वादी एवं प्रतिवादी स्वयं उपस्थित होकर जिन्होने आपसी राजीनामा पेश किया जिसकी पहचान अधिवक्ता श्री अनील सिंहल ने की है। चूंकि आपसी राजीनामा पेश हो जाने से पत्रावली तारीख पेशी से पूर्व ही तलब करली गई। दोनो पक्षो ने राजीनामा मे अंकित वादपत्र के तथ्यो को स्वीकार किया है तथा आपसी राजीनामा अनुसार डिक्री चाही गई है, राजीनामा पक्षकारो की सहमति पर तस्दीक किया जाता है। राजीनामे का अवलोकन किया गया राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है	[illegible] 9-11-2 [illegible] 9-11-2

मूल वाद में संशोधित ड्रिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी, जिला - प्रतापगढ (राज.)

प्रकरण संख्या : - 94/2017 - मूल रेवेन्यू दिनांक - 9|11|17

श्री जेनुद्दीन पिता अब्दूल हुसैन जी बोहरा बयस्क निवासी छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादडी

-- वादीगण

बनाम

1. श्री अब्बास अली पिता अब्दूल हुसैन जी बोहरा बयस्क निवासी छोटीसादड़ी
2. श्रीमान तहसीलदारसा. छोटीसादडी

-- प्रतिवादीगण

मूल वाद में ड्रिकी

वाद अन्तर्गत धारा 88-209 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या : - 94/2017 - मूल रेवेन्यू

उक्त वाद वादी का डिक्री किया जाता है कि मोजा छोटीसादड़ी तह0 छोटीसादड़ी की आराजी नं. 146 रकबा 1-56 हे0, आराजी नं. 148 रकबा 0-12 हे0, आराजी चाह नं. 147 रकबा 0-04 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1-72 हे0 वादी जेनुद्दीन पिता अब्दूल हुसैन जी बोहरा निवासी छोटीसादड़ी के तनहा खातेदारी की घोषित की जाती है। राजस्व अभिलेख में आराजी नं. 146 रकबा 1-56 हे0, आराजी नं. 148 रकबा 0-12 हे0 तथा आराजी नं. 147 रकबा 0-04 हे0 गे0मू0 चाह में प्रतिवादी अब्बास अली पिता अब्दूल हुसैन जी बोहरा निवासी छोटीसादड़ी का नाम विलोपित किया जाकर जमाबन्दी में वादी जेनुद्दीन पिता अब्दूल हुसैन जी बोहरा निवासी छोटीसादड़ी का नाम तनहा अंकित किया जावे। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

यह आज दिनांक 9.11.17...... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी